न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम(अलवर)

प्रार्थना पत्र सं0 70/16

बलबीर बनाम मंगल

26.04.2016

प्रार्थी/प्रार्थीगण/प्रार्थीया मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली एंव सलंग्न दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई,सुविधा का सन्तुलन एव नापूर्ति होने वाली क्षति की सम्भावना प्रार्थी के हक मे प्रतीत होती है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी/अप्रार्थीगण आगामी पेशी दिनांक 24.05.2016 तक इस अमर से जारी की जाती है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 507/0–24, 1361/0–03, 1362/0–32, 1365/0–31, 1363/0–46, 1173/0–20, 1364/0–14 वाके ग्राम हरसौली तह0 कोटकासिम जिला अलवर मे विवादित आराजी को बिना तकसीम कराये रहन बैय आदि से मुन्तकिल ना करे, । राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथावत स्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो हाजिर अदालत होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी/अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया जावे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 24.05.2016 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

4/5/16 पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मे निस्तारण योग्य होने से पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में दिनांक 29-6-16 को पेश हो।

29/6/16 आज यह पत्रावली कैम्प ... पत्रावली में ... प्रार्थी का वाद ... हो चुका है ... आगे चलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली ... बाद ... दाखिल दफ्तर की जावे। ... रजिस्टर में ... किया जाए।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

मोमाराम
बलबीर सिंह
पन्ना लाल
ठाकुर सिंह